कोरोना कोविड–19 वायरस से बचाव हेतु कृषि सलाह

कृषि विज्ञान केन्द्र, भाटापारा द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से अटारी जोन–9 जबलपुर के माध्यम से कोविड–19 के कारण लॉकडाउन (बन्दी) अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश एवं सलाह जारी की गई है। जिसे केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. अंगद सिंह राजपूत ने बताया कि जिले के समस्त कृषकों को अपने प्रक्षेत्र, खलिहान में कार्य करते समय निम्नानुसार दिशा निर्देश का पालन करते हुए कृषि कार्य करने का अनुरोध किया है। कृषि कार्यों के दौरान पानी, साबुन और मास्क की उपलब्धता रखें। मास्क की अनुपलब्धता पर साफ सुथरा गमछा या तौलिया से मुंह एवं नाक को ढक कर रखें, कृषि यंत्रों को प्रतिदिन उपयोग से पहले तथा बाद में ब्लीचिंग पावडर द्वारा सेनेटाइज करें, घर के आसपास/बाड़ी में जहां पर पानी जमा हो रहा हो वहां पर ब्लीचिंग पावडर का घोल बनाकर छिड़काव करें एवं पानी की निकासी करें। फसलों की कटाई एवं अन्य कार्यों के दौरान सभी के लिए अलग– अलग पानी की बोतल की व्यवस्था किसान भाई रखें। खेतों में फलों एवं सब्जियों की तुड़ाई तथा उत्पादों को बाजार में परिवहन के लिये सलाह दी जाती है। फसलों की कटाई एवं मिसाई के दौरान डिस्पाज किये जाने वाले जूते, दस्ताने व मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। यदि बीज उत्पादन किया जा रहा है तो बीज की शुद्धता बनाये रखने के लिये अलग प्रकार के पौधों को उखाड़ कर अलग कर दिया जाये तथा एक प्रकार के फसल की कटाई कर गहाई की जाये। फसलों की कटाई से पहले भंडारित किये जाने वाले जगह को साफ रखें। कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने से बचें। कटाई के बाद खेत में वेस्ट डी कम्पोजर का छिड़काव करें और खेत की जुताई करें व जुताई के 8 से 10 दिन बाद फिर से इसका छिड़काव करें जिससे फसल अवशेष मृदा के अंदर अच्छी तरह से डी कम्पोज होकर मिल जाए। वर्षा होने की स्थिति में नमी की उपलब्धता में खाली खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की सलाह दी जाती है।